ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-2* Issue-4* July- 2017
Anthology : The Research

ओद्यौगिक जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं गांधी जी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत

विजय सर्राफ
पद————
राजनीति विज्ञान विभाग,
गवर्न. पी.जी.महाविद्यालय
झालावाड़,राजस्थान

सारांश

बेथम के उपयोगिता वाद के उपरांत जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद ने पूंजीवाद का सृजन किया। 'लेसिसफेयर का सिद्धांत (व्यक्ति को खुला छोड़ दो) ने अमीरो को अमीर और गरीबो को अधिक गरीब बना दिया। परिणामतः पूंजीवाद एवं साम्यवाद का द्वन्द्व आरंभ हो गया। पूंजीवाद केन्द्रीयकरण की ओर उन्मुख था, वहीं साम्यवाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर। इस प्रवृत्ति ने समस्त विश्व को दो गुटो में बाट दिया। जिसका परिणाम हुआ कि एक ओर पूंजीवादी शोषण ने जन्म लिया और दूसरी ओर राज्य का सत्ता पर अंकुश होने से व्यक्ति राज्य के शोषण का माध्यम बन गया।

मुख्य शब्द : व्यक्तिवाद, अहिंसा, अपरिग्रह, साम्यवाद, ट्रस्टीशिप,

प्रस्तावना

20 वी सदी में भारत में महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश हुआ। गांधी जी की विचार धारा अहिंसावादी एवं 'अपरिग्रह' के सिद्धांत पर आधारित थी। उनका विचार था कि 'धनसंग्रह' प्रगति के मार्ग में बाधक है। उनकी धारणा थी कि भारत का आर्थिक ढ़ाचा एवं विश्व का आर्थिक आधार ऐसा होना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अन्न और वस्त्र से वंचित न रहे।

गांधी जी का विचार था कि किसी भी रूप से शोषण की अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिये। न ही संसाधनो का एकाधिकार किसी एक देश के हाथ में होना चाहिये, न ही किसी व्यक्ति समूह के हाथ में। गांधी जी के सुझाव समय, आवश्यकता और मानवता की दृष्टि से प्रेरित रहे हैं।

कारपोरेट का सामाजिक दायित्व एवं ट्रस्टीशिप

गांधी जी ने दिनांक 23/02/1947 के 'हरिजन' में ट्रस्टीशिप की विस्तृत व्याख्या करते हुये लिखा है ''वर्षो पहले मेरा जो विश्वास था, वह आज भी है कि सब कुछ ईश्वर का है। इसलिये वह उसकी सारी प्रजा के लिये है, किसी खास वयक्ति के लिये नहीं। जब किसी के पास अपने हिस्से से ज्यादा हो, तो वह ईश्वर की प्रजा के लिये उस हिस्से का संरक्षक बन जाता है। इसलिये मनुष्य का भी सिद्धांत होना चाहिये कि वह उतना ही अपने पास रखे जिससे आज का काम चल जाये कल के लिये चीजें जमा करके नहीं रखें।''

गांधी जी आर्थिक विषमतायें समाप्त करने के पक्षधर थे लेकिन आर्थिक समानता के लिये वे साम्यवाद के पक्ष में सहमत नहीं थे। क्योकि वे हिंसा के विरोधी थे। वे हृदय परिवर्तन के द्वारा धनिक वर्ग को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना चाहते थे।

इसीलिये आज की स्थिति में निरंतर पूंजीवाद की महत्ता बढ़ती जा रही है। निजीकरण एवं भूमंडलीकरण की ओर अर्थव्यवस्था का बहाव हो रहा है तो एसी स्थिति में गांधी जी के ट्रस्टीशिप की उपादेयता काफी बढ़ जाती है। पूंजीवाद का समाज के विकास में दायित्व वहन करना एवं राष्ट्र के प्रति मानवता के प्रति कर्तव्यनिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है।

फलतः इन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के परिपेक्ष्य में ओद्यौगिक जगत समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है:–

1. व्यक्ति अपने शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम के द्वारा जो उपार्जित करते है उस पर उनका स्वामित्व नहीं होता, अपितु वे संरक्षक या प्रन्यासी होते है। गांधी जी का सुझाव था कि जिन लोगो के पास धन व सम्पत्ति है, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शेष साधनों व सम्पत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करे। इस प्रकार वे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत द्वारा स्वैच्छिक आधार पर साधनों का समाज में न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना चाहते थे।

2. ट्रस्टीशिप के विचार के माध्यम से गांधी जी पूंजीवाद की बुराइयों का समाधान करना चाहते है एवं वे पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करने में समाजवाद की विकृतियों को अपनाने के पक्षधर भी नहीं थे।
3. पूंजीवादी व्यवस्था निजीकरण की पहल पर निर्भर करती है जिसमें साधनो का केन्द्रीकरण हो जाता है, जबकि साम्यवाद सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से निजीकरण को तो समाप्त कर देता है किंतु आर्थिक शक्ति राज्य के हाथ में आ जाती है। अतः व्यक्ति की प्रेरणास्पद दक्षता कार्यक्षमता एवं दक्षता का मूल्य नहीं रह जाता। अतः प्रन्यास सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी दक्षताओं के अधिकतम उपयोग के लिये प्रेरित हो। उसकी दक्षताओं का समुचित उपयोग समाज के हित में हो।इस प्रकार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सम्पत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति को उसके प्रबन्धन का अधिकार तो देता है किंतु उसे सचेत करता है कि उसके द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर पूरे समाज का स्वामित्व है।
4. ट्रस्टीशिप की अवधारणा 'अपरिग्रह' और 'अस्तेय' के विचारों पर आधारित है। न्यासिता के सिद्धांत में सम्पत्ति के प्रति दृष्टिकोण की दो मर्यादायें अर्न्तनिहित है– पहला व्यक्ति अपनी आवश्यकता यथासंभव सीमित कर ले और दूसरा व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन को तिजोरी में रखने के बजाय रचनात्मक उपयोग में लगाये। इससे व्यक्ति को मानसिक संतोष तो मिलेगा ही साथ ही नैतिक बल भी बढ़ेगा। इससे सम्पत्तिधारी सम्पत्ति के स्वैच्छिक परित्याग से सम्पत्ति के अर्जन और वितरण में न्यायसंगत संतुलन स्थापित कर सकेंगें।
5. गांधी जी का विचार है कि व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिये तभी प्रेरित होगा जब उसका उसे कोई पारिश्रमिक या परिलाभ मिले। उन्होने विचार दिया कि प्रन्यासियों को अपनी क्षमता का पर्याप्त उपयोग करने के लिये पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।
6. गांधी जी ने विचार व्यक्त किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में जहां कुछ लोगों के पास अथाह सम्पत्ति होगी वे स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का परित्याग करने को तैयार नहीं होगें अतः उनका हृदय परिवर्तन करवा के उन्हे तैयार किया जा सकता है।

गांधी जी अपने न्यासिता के सिद्धांत की व्यवहारिकता के प्रति आश्वस्त थे। उन्होने कहा– ''मेरा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे काम निकालने के लिये आज गढ़ लिया गया हो..... मेरा विश्वास है कि दूसरे सिद्धांत जब नहीं रहेंगें तब भी ये रहेगा। उसके पीछे तत्वज्ञान और धर्म के समर्थन का बल है।''

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह माना जा सकता है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप आज भी समाज में मौजूद है। आज की स्थितियों में पूंजीपति या ओद्यौगिक जगत ट्रस्टी बन कर समाज के, राष्ट्र के प्रति, विकास के प्रति अग्रसर है। चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या ओद्यौगिक विकास की दृष्टि से, शैक्षणिक विकास हो या संचार व्यवस्था, वैज्ञानिक विकास हो या संसाधनों का विकास पूंजीपति वर्ग समाज के प्रति अपनी समुचित जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहा है। स्वरूप चाहे जो भी हो।

गांधी जी का ट्रस्टीशिप आज भी उतना ही जीवंत है और भविष्य में भी उसकी उपादेयता कायम रहेगी और कारपोरेट जगत को अपने कर्त्तव्यों के प्रति प्रेरणा देता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- *'Gandhian Concept of State' by Majumdar*
2- *His Life and Thought, by J.B. Kriplany*
3- *गांधी और मार्क्स द्वारा किशोरीलाल मशरूवाला*
4- *गांधी चिन्तन के विभिन्न पक्ष इल डॉ. धर्मवीर चंदेल, हिन्दी ग्रंथ अकादमी*
5- *प्रतिनिधी राजनीतिक विचारक, डॉ इकवाल नारायण*
6- *गांधीयन व्यु आफ इण्डिविजुअल सोसायटी एण्ड स्टेट द्वारा शीला राय*
7- *'हरिजन' 31 मार्च 1946*
8- *'यंग इंडिया' 26 नवम्बर 1931*
9- *गांधी 'हिन्द स्वराज्य'*
10- *10. 'हिन्द स्वराज्य के सौ साल', भारतीय भाषा परिषद, 22 नवम्बर 1909 से 22 नवम्बर 2009.*